न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00362/2019/223

1. कमला पत्नी नंगासिंह,
2. रघुवीर सिंह पुत्र नंगासिंह,
3. रणजीतसिंह पुत्र नंगासिंह,
4. रमती पत्नि बलबीर,
5. नरेन्द्र पुत्र बलबीर,
6. दरोपती पुत्री बलबीर,
7. गीता पुत्री बलबीर,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम खाजपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र नाथा,
2. काना पुत्र पीथा,
3. गोपी पुत्र पीथा,
4. बाबू पुत्र लादू,
5. शेरा पुत्र लादू,
6. किशना पुत्र रामा,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम नयागांव कास्या, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 19.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 78/2013.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह रावत, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी सहकाश्तकारी की भूमि वाके ग्राम नयागांव तहसील नसीराबाद में स्थित है जिसका वर्णन वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068 से

2071 के खाता संख्या 94/88 खसरा नंबर 1733 रकबा 0.04 है0 चाही–2, खसरा नंबर 1734 रकबा 0.15 है0 अवस्थित है । विवादित आरायिजात का खातेदार नंगा सिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/2 हिस्सा दर्ज है । दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान वादीगण है तथा खातेदार पीथा वल्द माना का 1/2 हिस्सा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । खाता संख्या इसी प्रकार खाता संख्या 95/89 के खसरा नंबर 1730 रकबा 0.09 है0, 1741 रकबा 0.10 है0 के वर्तमान जमाबंदी में खातेदार नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/3 हिस्सा के खातेदार दर्ज है तथा दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादीगण है तथा खातेदारी बाबू व शेरा पि0 लादू प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है जिनका 1/3 हिस्सा निहित है। गोपी व काना प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है जिनका 1/3 हिस्सा निहित है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या 210/195 के खसरा नंबर 615 रकबा 0.20 है0, 616 रकबा 0.28 है0, 617 रकबा 0.01 है0, 621 रकबा 0.30 है0, 622 रकबा 0.01 है0 के वर्तमान जमाबंदी में खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/2 हिस्सा है । दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । खाता संख्या 211/196 के खसरा नंबर 1911 रकबा 0.09 के वर्तमान जमाबंदी में खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/3 हिस्सा है तथा दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वादीगण है तथा किशना वल्द रामा प्रतिवादी संख्या 6 है जिसका 1/3 हिस्सा है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार खाता संख्या 213/198 के खसरा नंबर 1742 रकबा 0.09 है0 के वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा एवं बिरदी बेवा घीसा का 2/3 हिस्सा है । तीनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान वादीगण है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 सहखातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त काश्त करते है । विवादित आराजियात का आज दिवस तक बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा का आदेश पारित किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 19.5.2016 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर खसरा नंबर 615, 616, 617, 621 के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबरान बाबत् वाद स्वीकार किया है जबकि वादीगण/अपीलांटस दावाकृत आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मोके पर काबिज काश्त है तथा भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक व हिस्से का बंटवारा करवाने के विधिक अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा

सकता है । अधी0न्याया0 को संपूर्ण आराजियात बाबत् स्पष्ट रूप से निर्णय पारित कर वाद डिक्री करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 23.9.2019 को अपने अधिवक्ता से संपर्क पर जानकारी प्राप्त हुई कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जिस पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक आवेदन किया जिस पर दिनांक 25.9.20199 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एव ंसद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष उभयपक्ष द्वारा खसरा नंबर 615, 616, 617 व 621 के अतिरिक्त शेष आराजियात का विभाजन राजस्व रिकार्ड के अनुसार किये जाने में आपत्ति नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान बाबत् अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री नहीं कर शेष खसरा नंबरान बाबत् वाद डिक्री किया है । खसरा नंबर 615, 616, 617 व 621 की आराजियात से वादी/अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 94/88 खसरा नंबर 1733 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नंबर 1734 रकबा 0.15 है0 भूमि के वर्तमान जमाबंदी में खातेदार नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/2 हिस्सा है तथा दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वादीगण है तथा खातेदार पीथा वल्द माना का 1/2 हिस्सा है जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है । इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा है । इसी प्रकार खाता संख्या 85/89 के खसरा नंबर 1730 रकबा 0.09 है0 एवं 1741 रकबा 0.10 है0 में खातेदार नंगासिंह व बलवीर पि0 घीसा का 1/3 हिस्सा था, दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वादीगण है तथा खातेदार बाबू व शेरा पि0 लादू प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है जिनका 1/3 हिस्सा निहित है तथा गोपी व काना प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है जिनका भी 1/3 हिस्सा है । खाता संख्या 210/195 के खसरा नंबर 615, 616, 617, 621, 622 कुल किता 5 कुल रकबा 0.80 है0 में खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/2 हिस्सा है । दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान वादीगण है जिनका उपरोक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा है । खाता संख्या 211/197 के खसरा नंबर 1911 रकबा 0.09 है0 में खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3

हिस्सा, नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा का 1/3 हिस्सा तथा किशना वल्द रामा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । खातेदार नंगासिंह व बलवीरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण है, जिनका उपरोक्त आराजी में 1/3 हिस्सा है । इसी प्रकार खाता संख्या 213/198 रकबा 1742 रकबा 0.09 है0 में खातेदार मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, नंगासिंह व बलवीरसिंह पि0 घीसा एवं बिरदी बेवा घीसा का 2/3 हिस्सा है । नंगासिंह, बलवीरसिंह व बिरदी की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वादीगण होकर उक्तानंसार 2/3 हिस्से के खातेदार है । वादीगण ने वादवर्णित समस्त आराजियात बाबत् विभाजन का अनुतोष चाहा था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 19.5.2016 द्वारा खसरा नंबर 615, 616, 617 व 621 के अतिरिक्त शेष आराजी खसरा नंबर 1733, 1734, 1730, 1741, 622, 1911 एवं 1742 का विभाजन राजस्व रिकार्ड के अनुसार करने की डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष जब संपूर्ण आराजियात बाबत् वाद पेश कर वादीगण ने समस्त आराजियात में अपना हिस्सा निहित होने का कथन किया है तो अधी0न्याया0 को संपूर्ण आराजियात बाबत् वाद निर्णित करना चाहिये था । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । हम न्यायहित में वादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का अधी0न्याया0 द्वारा पुनः गुणावगुण पर परीक्षण कराया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.5.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि वाद में वर्णित समस्त खसरा नंबरान बाबत् उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर